बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
पत्रांक– पि०व०/बजट–30–02/2015 (खण्ड–II)– 100.

प्रेषक,

अनिल कुमार ठाकुर,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी,
अरवल।

पटना, दिनांक–28/11/2025

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभागान्तर्गत संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या +2 उच्च विद्यालय, अरवल के संधारणार्थ स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में विद्युत प्रभार मद में कुल राशि रू० 66,817/–(रू० छियासठ हजार आठ सौ सत्रह) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभागान्तर्गत संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या +2 उच्च विद्यालय, अरवल के संधारणार्थ स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में विद्युत प्रभार मद में कुल राशि रू० 66,817/–(रू० छियासठ हजार आठ सौ सत्रह) मात्र संलग्न आवंटित की जाती है।

2–कुल भारित व्यय का वहन वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत बजट शीर्ष माँग संख्या 11 मुख्य शीर्ष 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण उपमुख्य शीर्ष 03– पिछड़े वर्गों का कल्याण, लघु शीर्ष 277–शिक्षा, उप शीर्ष 0010–पिछड़ी जातियों के लिए 12 (बारह) कन्या आवासीय उच्च विद्यालयों का संधारण, विषय शीर्ष 13.04 विद्युत प्रभार इकाई में विपत्र कोड संख्या–11-2225–03–277–0010 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

3–इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, अरवल होंगे।

4–आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक–2561, दिनांक–17.04.98 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में सन्निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा। राशि का व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र राशि के व्यय होने के तत्काल बाद विभाग को भेजा जाएगा। किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जाएगा।

5–प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

6–प्रस्ताव पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

7–इसकी सूचना महालेखाकार, पटना को दिया जा रहा है।

विश्वासभाजन,
28/11/25
(अनिल कुमार ठाकुर)
सरकार के अपर सचिव।

P.T.O

D/Kundan 2 Budget Section/allotment excel and budget fol /Sanction & Allotment

Scanned with OKEN Scanner

ज्ञापांक— पि०व०/बजट—30—02/2015 (खण्ड—II)— 100 पटना, दिनांक— 28/11/202

प्रतिलिपि—(1) महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना/ जिला पदाधिकारी, अरवल/संबंधित उप विकास आयुक्त/ प्रमण्डलीय उपनिदेशक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, मगध प्रमंडल, गया/अनुमण्डल, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, अरवल/प्रधानाचार्य, अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या +2 उच्च विद्यालय, अरवल को सूचनार्थ एवं आवाश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) विभागीय बजट शाखा, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को CFMS प्रणाली के अन्तर्गत प्रविष्टि करने हेतु सूचनार्थ एवं आवाश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(5) आई०टी० मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28/11/25

सरकार के अपर सचिव

Scanned with OKEN Scanner